यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर** के माह 10/2014 से 11/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव एवं श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2016 से 09.01.2016 तक श्री हनुमान सिंह लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2014 से 30.10.2014 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2013 से 09/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं का संचालन करना। इसमें बागेश्वर क्षेत्र के तीनों ब्लॉक शामिल थे।
(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)
इकाई द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, अटल आवासा योजना, कन्या धन योजना, छात्रवृत्ति योजना, इत्यादि का संचालन किया जाता है। इसमें बागेश्वर क्षेत्र के तीनों ब्लॉक शामिल थे।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	78.67	76.02	1807.39	1780.70	-	26.69
2014-15	-	-	106.19	99.91	1878.88	1859.77	-	19.11
2015-16	-	-	123.69	113.80	2121.43	2085.27	-	36.16

नोटः- स्थापना का आवंटन कोषागार से संचालित होने के कारण मार्च के अंत में व्यपगत हो जाती है। जिस कारण उसकी बचत वित्तीय स्थिति में दर्शायी नहीं गयी है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और छात्रवृत्ति पेंशन	---	361.94	361.93	0.01
2014-15	वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और छात्रवृत्ति पेंशन	----	424.04	424.03	0.01
2015-16	वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और छात्रवृत्ति पेंशन	---	217.37	217.37	---

(III) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को कोषागार के माध्यम से आहरित किया जाता है। तथा इकाई ए श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव समाज कल्याण 2. निदेशक समाज कल्याण 3. जिला समाज कल्याण अधिकारी

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर** एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 02/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (**जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर**) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

1. वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन 2. शादी एवं बीमारी अनुदान 3. कन्याधन योजना (एस.सी.) 4. विकलांग भरत पोषण अनुदान 5. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 6. आई.टी.आई. स्थापना, वृद्धावस्था एवं अपंग आवास गृह 7. अटल आवास योजना 8. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1: चार पेंशन/छात्रवृत्ति की योजनाओं की कुल रु 65.52 लाख की धनराशि के अवशेष/अवरुद्ध रहना।

बजट मैनुअल के प्रस्तर 123 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी द्वारा सभी बचतों को पूर्ण विवरण और कारणों के साथ सचिवालय के संबन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रतिवेदित करना चाहिए। प्रशासनिक विभाग सभी बचतों को वित्त विभाग को प्रतिवेदित करेगा ताकि वित्त विभाग दुबारा आवंटित कर सके।

इकाई के अंतर्गत संचालित योजनाएँ बृद्धा अवस्था पेंशन, किसान पेंशन, विकलांग पेंशन एवं छात्रवृत्ति से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन योजनाओं में दिसंबर 2016 के अंत में धनराशियाँ बचत के रूप में अवशेष/अवरुद्ध पड़ी हुई थी। योजनावार अवशेष/अवरुद्ध बचत की धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	योजना का नाम	दिसंबर 2016 तक अवशेष/अवरुद्ध धनराशि (रु में)
1.	बृद्धावस्था पेंशन	20,17,885
2.	किसान पेंशन	45,400
3.	विकलांग पेंशन	10,04,270
4.	छात्रवृत्ति	34,84,895
योग		**65,52,450**

इस प्रकार उक्त सभी योजनाओं में दिसंबर माह के अंत तक रु 65.52 लाख की बचत की धनराशि अवशेष/अवरुद्ध थी। जो विगत दो से तीन वर्षों से इकठ्ठा हो रही थी।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि उक्त धनराशियाँ बैंक/डाकघर से चेक के माध्यम से इकाई के पास वापस आयीं थीं जो लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण (जैसे लाभार्थी का खाता गलत होने आदि) से उसको वितरित नहीं हो पाई। नियंत्रण अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विगत दो से तीन वर्षों से अवितरित/अवरुद्ध पड़ी योजनाओं की धनराशि को प्रशासनिक अधिकारी (निदेशालय) को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पूछे जाने पर आपत्ति को स्वीकारते हुए अवगत कराया गया कि उक्त राशियाँ समर्पित की जानी हैं तथा कार्यवाही की जाएगी।

अतः उक्त चारों योजनाओं की कुल रु 65.52 लाख की धनराशि के अवशेष/अवरुद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2-पाँच निर्माण कार्यों में ` 29.88 लाख की राशि के विरूद्ध ` 19.90 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध रहने तथा 2 निर्माण कार्य अनारम्भ रहना।

विभाग द्वारा सितम्बर 2013 को अवस्थापना मद के अंतर्गत निर्माण कार्यों को कराये जाने के लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बागेश्वर को कार्यदायी संस्था को नामित किया गया था। किन्तु कार्यालय से भूमि की उपलब्धता/रजिस्ट्री उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्रांक 88/एस.सी.एस.पी.-2013-14 दिनांक 30 जनवरी 2014 द्वारा अनुरोध किया गया था कि निम्न कार्यों किसी अन्य कार्यदायी संस्था से सम्पादित करावें।

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की लागत
1.	विकास खण्ड गरुड के ग्राम बडेत में जनमिलन केन्द्र निर्माण	` 4.98 लाख
2.	विकास खण्ड बागेश्वर के ग्राम डुगरी में जनमिलन केन्द्र	` 4.98 लाख
3.	विकास खण्ड बागेश्वर के सिमकूना जनमिलन केन्द्र निर्माण	` 4.98 लाख
4.	मेहनरबूंगा अम्बेड़कर भवन व लाइब्रेरी	` 9.97 लाख
5.	नई बस्ती में जनमिलन केन्द्र निर्माण	` 4.97 लाख

अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि जनवरी 2014 में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गयी थी। उसके पश्चात विभाग द्वारा न तो कार्यदायी संस्था बदलने के संबंध में की कार्यवाही की गयी और न ही धनराशि वापस प्राप्त करने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक 1087/1-लेख/एस.सी.पी./2015-16 दिनांक 14 मार्च 2016 द्वारा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश सं. 2755/पी.ए./आदेश/2015-16 दिनांक 09 फरवरी 2016 जिसमें यह आदेशित किया गया था कि चालू कार्यों को छोड़कर अन्य किसी भी योजना में ग्राम्य विकास अभिकरण बागेश्वर को नामित न करने के आदेश पारित किये गये थे, के विरूद्ध 2 वर्ष के बाद उक्त 5 कार्यों में से 3 कार्यों (क्रम सं. 1,3 एवं 4) में ` 9.98 लाख यह कहकर वापस कर दिया गया कि जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका उनकी धनराशि वापस की जा रही है। किन्तु अन्य दो कार्य कि राशि वापस नहीं की गयी थी। यह दोनों कार्यों का भी स्थल चयन वर्तमान तक नहीं किया जा सका था। तथा स्थल चयन के अभाव में कार्य तक लम्बित थी।

इकाई से पूछने पर बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि वापस न किये जाने के कारण तथा त्रुटिवश विभाग के संज्ञान में न होने के कारण राशि वापस प्राप्त की जा सकी। 03 कार्य

जिनकी राशि फरवरी 2016 में प्राप्त हो गयी थी का कार्य प्रगति पर है तथा शेष दो कार्य के संबंध में राशि वापस प्राप्त करने हेतु कार्यदायी संस्था से शीघ्र पत्राचार किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त पाँचों कार्य में निर्माण कार्य दिसम्बर 2013 में ही आरम्भ किया जाना था,को समयान्तर्गत व्यय न करके चार वर्ष बाद तक 03 कार्य की प्रगति लम्बित थी तथा 02 कार्यों में राशि कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध पड़ी हुयी थी।

अतः 05 निर्माण कार्यों में ` 29.88 लाख की राशि के विरूद्ध ` 19.90 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध रहने तथा 02 निर्माण कार्य अनारम्भ रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- ` 5.40 लाख व्यय करने के उपरान्त भी अधूरा निर्माण कार्य करना।

शासनादेश सं. 212/XVII/2009-19/(01) 2009 दिनांक 24 फरवरी 2009 के क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य आवास होना अनुसूचित जाति के परिवारों को शतप्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है। उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करना है जो ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, क्रेडिट कम आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने से रह गये है। योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी, आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों में ` 38,500/- एवं मैदानों क्षेत्रों में ` 35,000/- निर्धारित है। आवास के साथ शौचालय का निर्माण आवश्यक होगा आवास का कुल क्षेत्रफल 20 मीटर होना अनिवार्य है। आवास निर्माण हेतु लाभार्थी के पास स्वंय की भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। प्रथम किश्त में ` 23,500/- की धनराशि दी जायेगी तथा प्रथम चरण में निर्माण 3 माह की अवधि में पूर्ण होना चाहिए। आवास निर्माण पूर्ण करने की पुष्टि होने के उपरान्त ही दूसरी किश्त का भुगतान किया जायेगा।

इकाई के वर्ष 2013-14, 2014-15, व 2015-16 के अटल आवास योजना से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि उक्त वर्षों में 23 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में प्रति लाभार्थी ` 23,500/- के हिसाब से कुल धनराशि ` 540500 भुगतान की गयी (सूची सलंग्न) उक्त धनराशि का भुगतान किये हुए आठ माह से 3 वर्षसे अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु इकाई द्वारा योजना से संबंधित द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है प्रथम किश्त से संबधित निर्माण कार्य आतिथि तक पूरा नहीं हुआ है, जिसे 3 माह की अवधि में पूर्ण हो जाना था। इस प्रकार ` 5.40 लाख व्यय होने के पश्चात भी निर्माण पूरा न होने के कारण योजना का उद्देश्य असफल रहा तथा वंचित अपने अपने आवास का निर्माण नहीं कर सके।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा प्रति उत्तर में बताया गया कि कार्य पूर्ण किये जाने हेतु सहायक कल्याण अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

सलंग्नक

क्र.स.	लाभार्थी	ब्लॉक	स्वीकृत धनराशि (`)	दिनांक/चैक न.	प्रथम किश्त	अवशेष धनराशि (`)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) {4-6}
1.	श्री गणेशराण	बागेश्वर	38,500/-	189061/18.09.13	23,500/-	15,000/-
2.	श्री बहादुर राम	बागेश्वर	38,500/-	522835/13.02.14	23,500/-	15,000/-
3.	श्री संजय कुमार	गरूड़	38,500/-	189052/18.09.13	23,500/-	15,000/-
4.	श्री धर्मराम	गरूड़	38,500/-	532845/13.02.14	23,500/-	15,000/-
5.	श्रीमती बचुलीदेवी	कपकोट	38,500/-	189072/27.09.13	23,500/-	15,000/-
6.	श्री दर्वानराम	कपकोट	38,500/-	189073/27.09.13	23,500/-	15,000/-
7.	श्री गोपालराम-नैनराम	कपकोट	38,500/-	189075/27.09.13	23,500/-	15,000/-
8.	श्री हरनाम	कपकोट	38,500/-	532803/27.09.13	23,500/-	15,000/-
9.	श्री सुन्दर प्रसाद	कपकोट	38,500/-	532804/27.09.13	23,500/-	15,000/-
10.	श्री चरन राम	कपकोट	38,500/-	532805/27.09.13	23,500/-	15,000/-
11.	श्री डूगरराम	कपकोट	38,500/-	532833/13.02.14	23,500/-	15,000/-
12.	श्री कालादेवी	कपकोट	38,500/-	532834/13.02.14	23,500/-	15,000/-
13.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	बागेश्वर	38,500/-	532901/30.03.15	23,500/-	15,000/-
14.	श्री अनिल कुमार	गरूड़	38,500/-	532908/30.03.15	23,500/-	15,000/-
15.	श्री रमेश राम	कपकोट	38,500/-	532883/30.03.15	23,500/-	15,000/-
16.	श्री किशनराम	कपकोट	38,500/-	532912/30.03.15	23,500/-	15,000/-
17.	श्री चन्दन राम	बागेश्वर	38,500/-	019897/08.12.15	23,500/-	15,000/-
18.	श्री मदन राम	बागेश्वर	38,500/-	019899/08.12.15	23,500/-	15,000/-
19.	श्री बन्धन राम	बागेश्वर	38,500/-	01900/18.12.15	23,500/-	15,000/-
20.	श्री मोहन राम	बागेश्वर	38,500/-	019918/07.04.16	23,500/-	15,000/-
21.	श्रीमती जानकी देवी	गरूड़	38,500/-	019709/02.02.16	23,500/-	15,000/-
22.	श्री शेरू राम	कपकोट	38,500/-	019901/14.12.15	23,500/-	15,000/-

23.	श्री रमेश राम	कपकोट	38,500/-	019903/14.12.15	23,500/-	15,000/-
			8,85,500/-		**540500/-**	**345000/-**

STAN

प्रस्तर-1- ` 0.54 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण न किया जाना।

सामग्री अधिप्राप्ति नियमों के अनुसार सामग्री इसी दशा में क्रय की जानी चाहिए, जब उसका उपयोग किया जाय। उपयोग के पश्चात सामग्री का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करा कर जिस सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित किया जाय, उसकी नीलामी की प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारम्भ की जाय।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर के वर्ष 2014-15 व 2015-16 तथा विगत वर्षों के स्टॉक संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित सामग्री निष्प्रयोज्य सामग्री के रूप में मौजूद है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

क्रमांक	**माह/वर्ष**	**मद (Item)**	**धनराशि ` (कीमत)**
1.	11/1999	टाईपराइटर	10555/-
2.	12/2012	टाईपराइटर	13300/-
3.	03/2003	फैक्स मशीन	17840/-
4.	03/2003	C.V.T	3500/-
5.	03/2004	पंखा	730/-
6.	11/2011	साइनबोर्ड	7300/-
7.	01/1999	बस्ते	1050/-
योग			**54275/-**

स्पष्ट है कि इकाई में विगत 5 वर्षों से ` 54275/- कीमत की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी नहीं हुई है, जिससे शासनको राजस्व की प्राप्ति होती। इतने वर्षों से निष्प्रयोज्य रहने के कारण इनकी कीमत (राजस्व) में कमी से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही कमियों को दूर कर लिया जायेगा तथा निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की प्रक्रिया हेतु यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
2007-08/22	---	6
2009-10/16	---	4
2012-13/89	---	3
2014-15/110	---	4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उचित माध्यम से निदेशक समाज कल्याण की संस्तुति के उपांत महालेखाकार को प्रेषित करने के संबंध में सूचित किया गया है।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

इकाई द्वारा योजनाओं से संबंधित कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है।

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	नन्दन सिंह गस्याल	जिला समाज कल्याण अधिकारी	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)